छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्र. 3021 / एफ–1–108 / 31 / एस–2 / 2020, अटल नगर, दिनांक 20 / 07 / 2023

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **बालोद जिले के विकासखंड–बालोद की गोंदली जलाशय परियोजना अंतर्गत तरौद माईनर में एक्वाडक्ट, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1. शासन का पत्र क्र.–567 / एफ–1–108 / 31 / एस–2 / 2020, दिनांक 07.02.2022.
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्र.–34 / डी–2 / मगोक / 2020 / 3488, दिनांक 25.04.2023.

––00––

राज्य शासन एतद्द्वारा बालोद जिले के विकासखंड–बालोद की गोंदली जलाशय परियोजना अंतर्गत तरौद माईनर में एक्वाडक्ट, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर कार्य हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक–1 द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए मद परिवर्तन के फलस्वरूप लागत राशि रु. 292.84 लाख (रुपये दो करोड़ बियानवे लाख चौरासी हजार) मात्र की नवीन प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 821.33 हेक्टेयर में 127.01 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–75, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [05]-गोंदली {800} अन्य व्यय 0311–नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) (5188)–मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25 / 2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. योजना की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग पाण्डेय)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\HKY\Sahu Sir\AARAA 3 crore.doc - Copy.docx

पृ.क्र.3022 / एफ–1–108 / 31 / एस–2 / 2020, अटल नगर, दिनांक 20/07/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–बालोद (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मंडल दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद, जिला–बालोद।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
21 JUL 2023
कक्ष.........

SE(MIS)

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग